लोक सुनवाई का विवरण

विषय :– **ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम हिरमी, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के अंतर्गत प्रस्तावित सीमेंट 2.75 मिलियन टन/वर्ष से 6.75 मिलियन टन/वर्ष, क्लिंकर 2.20 मिलियन टन/वर्ष से 6.75 मिलियन टन/वर्ष, कैप्टिव पॉवर प्लांट 50 मेगावॉट से 100 मेगावॉट, डी.जी. सेट 18 मेगावॉट से 30 मेगावॉट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.02.2013 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।**

उद्योग की प्रस्तावित परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 08.02.2013 को अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ0 अनीता सावंत वैज्ञानिक, श्री राजेश खरे एस.डी.ओ.पी. भाटापारा, उद्योग प्रतिनिधि श्री किरण पाटिल प्लांट हेड एवं श्री के.वी. रेड्डी तथा मान्नीय विधायिका श्रीमती लक्ष्मी बघेल, जिला पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जनपद पंचायत की मान्नीय अध्यक्षा श्रीमती अदिति बाघमार, जिला पंचायत के मान्नीय सदस्य, ग्राम पंचायतों के मान्नीय सरपंच, आस–पास के गांवों के किसान आदि लगभग दो हजार लोग उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक सुनवाई दोपहर 12:00 बजे प्रारंभ की गई।

2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये गये, उनकी सूची संलग्नक–2 अनुसार है।

3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुये परियोजना का संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने हेतु निवेदन किया गया।

4. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी ने लोक सुनवाई हेतु आये मान्नीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों का स्वागत करते हुये कहा कि यह जन सुनवाई मे0 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (हिरमी सीमेंट वर्क्स) द्वारा ग्राम हिरमी, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के अंतर्गत प्रस्तावित सीमेंट 2.75 मिलियन टन/वर्ष से 6.75 मिलियन टन/वर्ष, क्लिंकर 2.20 मिलियन टन/वर्ष से 6.75 मिलियन टन/वर्ष, कैप्टिव पॉवर प्लांट 50 मेगावॉट से 100 मेगावॉट, डी.जी. सेट 18 मेगावॉट से 30 मेगावॉट एवं डब्ल्यू.एच.आर.बी. पॉवर प्लांट 15 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् है। यह पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई है। उन्होंने जनसमुदाय से कहा कि प्रस्तावित परियोजना के संबंध में आपके विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को जनसमूह के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं एवं लिखित में भी दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार उन्होने लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा करते हुये उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया।

5. उद्योग प्रतिनिधि श्री के.वी. रेड्डी द्वारा उपस्थित जनसमान्य को क्षमता विस्तार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण ई.एस.पी., बैग फिल्टर्स, डस्ट सप्रेशन/डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं उचित जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी तथा उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखे जायेंगे। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्तावित उपायों के संबंध में भी जानकारी दी गई। क्लिंकर, फ्लाई ऐश आदि का संग्रहण बंद सॉयलो में किया जावेगा, फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जायेगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी। हरित पट्टिका का विकास सड़क के किनारे, संयंत्र सीमा एवं कालोनी में विकसित किये जाने से ध्वनि स्तर एवं धूल को न्यूनतम कर पर्यावरण को बेहतर बनाने के संबंध में जानकारी दी गई। श्री रेड्डी द्वारा आसपास के गावों में संयंत्र के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अधोसरंचना एवं कल्याणकरी कार्य के बारे में बताया। उन्होने इस दिशा में किए गए कार्यो के बारे में बताया कि ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के लिए गाँवों में शिक्षा की सुविधाएं, शालाओं में कमरों के निर्माण के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था, महिला स्वालंबन के लिए संयंत्र प्रबंधन द्वारा विभिन्न परियोजना के साथ अनेक जीवनोपयोगी कार्यों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंध किया गया है। आज की यह जनसुनवाई पर्यावरण स्वीकृति के लिए रखी गई है।

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री एम. कल्याणी द्वारा जनसुनवाई को आगे बढाते हुए जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से कहा की आप सभी सुझाव एवं टिप्पणी लिखित एवं मौखिक रूप से दर्ज करा सकते हैं। आपके द्वारा व्यक्त विचार, सुझाव, टीका–टिप्पणी को पर्यावरण के अधिकारी नोट करेंगे। तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है :–

1 **श्री राजेन्द्र वर्मा, परसवानी** ने कहा कि मैं क्षमता विस्तार का विरोध करता हूं, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोगो को स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया है। स्कूल एवं अस्पताल की व्यवस्था नही है तथा खरीदी गई जमीन का कम मूल्य दिया गया है। चिमनी से धुंआ एवं धूल निकलता है जिससे खेती में कम उपज होती है तथा पशुओं को बिमारी होती है। संयंत्र लगाने हेतु पेड़ों को काटा गया है, जिससे तापमान बढ़ रहा है। वनदेवी भूमि पर कब्जा किया गया है। 500 सौ एकड़ भूमि पर डोजिंग कर कब्जा कर लिया गया है। साकिन 712/499 एवं साकिन 877/225 पर ग्राम सभा की अनुमति के बिना कब्जा किया गया है। स्कूल के बगल में पावर प्लांट है, जो गलत है। आदिवासियों की 16 डिसीमिल जमीन पर कब्जा किया गया है। कम्पन से भवनों को क्षति हुई है। अतः मैं विरोध करता हूं।

2 **श्री थानुराम, हिरमी** ने कहा कि 1995 से कोपराम ठेकेदार के माध्यम से काम करता था। अब काम छूट गया है, हाजरी भी कम मिलता था।

3 **श्री जोहन अहीरे, सकलोर** ने कहा कि आई.टी.आई और इंजीनिरिंग किये गाँव के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए। संयंत्र से जो जल बाहर निकलता है, उससे होने वाले प्रदूषण के संबंध में मेरे द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। 15 साल से सकलोर की जमीन पर खनन कार्य चल रहा है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ।

4 **श्रीमती बैसाखिनबाई, कुथरौद** ने कहा कि प्लांट के ग्रामीण विकास के अधिकारी ने अत्याचार किया है तथा मेरे चार लड़कों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरे नाती को नौकरी मिलना चाहिए।

5 **श्री जितेन्द्र वर्मा, बरडीह** ने कहा कि कम्पनी नये संयंत्र के लिए जमीन मांग रही है। अल्ट्राटेक द्वारा हमारे गाँव के प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क निर्माण के अंतर्गत निर्माणाधीन रोड को रोक दिया गया है, क्योंकि रोड माईनिंग एरिया में आता है। अब प्लांट द्वारा नया रोड गाँव के लिए क्यों बनाया जा रहा है ? अन्य कंपनियों द्वारा 5 से 6 साल में मजदूरो को परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन यहां कंपनी द्वारा परमानेंट नहीं किया जाता है। कम्पनी अपनी स्कूल में बाहरी बच्चों को नहीं पढ़ाती है। कम्पनी एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जिसमें सभी के लड़के पढ़ सकें। माईन्स से भूजल नीचे जा रहा है। कम्पनी द्वारा बनाई जा रही सड़क टेढ़ी–मेढ़ी है, इससे दुर्घटना हो सकती है। हम कम दाम में जमीन नही देंगे।

6 **श्रीमती राधादेवी ध्रुव, हिरमी** ने कहा कि मेरी 2.34 डिसमिल भूमि पर कम्पनी द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए जबरन कब्जा किया गया है। मेरे ससुर एवं पति लड़ाई लड़ते रहे लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे घर से किसी सदस्य को नौकरी नही मिली है। कम्पनी द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर हमारी जमीन की एकतरफा रजिस्ट्री करा ली गई तथा हमें कोई मुआवजा नहीं मिला।

7 **श्री मुरारी मिश्रा, सभापति जिला पंचायत** ने कहा कि श्रीमती राधादेवी की समस्या का जवाब श्री पाटिल जी देंगे।

8 **श्री मोतीलाल वर्मा, जनप्रतिनिधि** ने कहा कि श्रीमती राधादेवी की समस्या का जवाब श्री पाटिल जी नही शासन के अधिकारी श्री कल्याणी साहब देंगे।

9 **श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा** ने कहा कि मजदूरों के CL, PL संबंधी समस्या को दूर किया जाना चाहिये, नहीं तो ऐसे संयंत्र की आवश्यकता नही हैं। कम्पनी आदिवासियों की समस्याओं को दूर करे। संयंत्र ग्रामीण विकास पर प्रतिवर्ष मात्र 50 लाख रूपये खर्च करती है, और जनसुनवाई पर करोड़ों रूपये खर्च करती है।

10 **श्री प्रेमलाल सिन्हा, पंच हिरमी** ने कहा कि गाँव वाले, शासन के अधिकारी एवं संयंत्र के अधिकारी समस्याओं को हल करेंगे, बाहरी नेताओं को बीच में आकर राजनीति करने की जरूरत नही हैं। पर्यावरण की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी संबंधित शासकीय अधिकारी देवें।

11 **श्री किरण पाटिल, संयंत्र प्रमुख** ने शासन के नियमों के अनुसार श्रीमती राधाबाई ध्रुव की समस्या को हल किये जाने का आश्वासन दिया।

12 **श्री संदीप पांडेय, विभाग प्रमुख (जमीन खरीदी)** ने कहा कि 4 एकड़ 34 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री शासन के आदेशानुसार की गई है। कम्पनी जमीन के बदले जमीन देने के लिए तत्पर है।

13 **श्री मुरारी मिश्रा** ने कहा कि ध्रुव बहन जमीन के बदले पैसा चाहती है।

14 **श्री किरण पाटिल** ने कहा कि शासन के निर्धारित मूल्य पर श्रीमती राधाबाई ध्रुव की जमीन खरीदी जायेगी। एक व्यक्ति के नौकरी के लिए श्रीमती राधाबाई ध्रुव को पत्र भेजा गया था, जिसका कंपनी को कोई जवाब नही मिला है। पुनः प्रस्ताव भेजा जायेगा।

15 **श्री प्रेमलाल ध्रुव, परसवानी** ने कहा कि 1993 में मेरी जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। मैं वर्तमान पदस्थ कलेक्टर महोदय के पास भी गया था, उनके द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था, मुझे नौकरी नहीं मिली है। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक मेरी समस्या हल नहीं हुई है। मेरे द्वारा व्यय किया गया धन मुझे मिलना चाहिये, इस गांव के अंदर आदिवासी होना सबसे बड़ा अभिशाप है।

16 **श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्षा** ने कहा कि आदिवासियों की जमीन के बदले जमीन या पैसे का भुगतान संयंत्र करे। शिक्षा, स्वास्थय, अधोसंरचना का विकास हो। उद्योग लगे लेकिन उद्योग नीति का पालन होना चाहिए। उद्योग लगने से फायदा और नुकसान दोनों होता है, लेकिन अगर नुकसान ज्यादा हो तो उद्योग नही लगना चाहिए। योग्यतानुसार नौकरी तथा श्रमिकों को नियमानुसार सभी सुविधायें दी जावे।

17 **श्री हरिशंकर वस्त्रकार, हिरमी** ने कहा कि जमीन के बदले में लिखित रूप से नौकरी की स्वीकृति मिलनी चाहिये।

18 **श्री लखन लाल घृतलहरे, परसवानी** ने कहा कि मेरे द्वारा 1991 में 11 एकड़ जमीन कंपनी को बेची गई है। 20 साल नौकरी करने के बाद भी मेरा प्रमोशन नही हुआ है, पांच हजार रूपये वेतन भी नहीं मिलता है। श्री नामदास सतनामी की अभी 40 डिसमील जमीन माईन्स में गई है, उसके लड़के को रोजगार नहीं मिला है। कम्पनी पहले पुराना हिसाब–किताब पूरा करे, उसके बाद ही क्षमता विस्तार करे।

19 **श्री प्यारे लाल ध्रुव, सरपंच हिरमी** ने मुनादी के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि ग्राम सभा में भी मुनादी एवं जनसुनवाई की तारिख पर चर्चा की गई थी।

20 **श्री रामकुमार साहू, पंच हिरमी** ने कहा कि उद्योग लगेगा, हम उद्योग के विरोधी नहीं है, उद्योग लगेगा तभी तो रोजगार मिलेगा। लेकिन यह गाँव वाले तय करेंगे कि उद्योग लगेगा अथवा नहीं। इसके लिए बाहरी लोगों को आकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है।

21 **श्री शिव कुमार उपाध्याय, हिरमी** ने कहा कि उद्योग लगेगा, उद्योग से क्षेत्र में फायदा एवं रोजगार मिला है। उद्योग के विस्तार का हम समर्थन करते हैं।

22 **श्री अनुपम अग्रवाल, जनपद सदस्य कुथरौद** ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जावे। बोनस कम दिया गया है, 8.33 प्रतिशत की दर से दिया गया है, जो कि अन्य संयंत्र से कम है। फर्जी बोनस पत्रक संयंत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। एक दिन में एक करोड़ रूपये की कमाई संयंत्र द्वारा की जाती है, तब ग्रामीण विकास में सालाना 50 लाख का व्यय दर्शाया जाता है। ग्रामीण विकास में 40 से 50 लाख प्रत्येक वर्ष खर्च दर्शाया गया है, लेकिन किस आधार पर कार्य और किसके कहने पर किया जाता है इसका उल्लेख नहीं है।

23 **श्री अनंत, उपसरपंच कुथरौद** ने कहा कि उद्योग लगना चाहिए, लेकिन पुराने किये गये वादे पूरे करने चाहिए, हम चाहते हैं उद्योग का विस्तार हो उसमें नजदीकी गाँव के मूल

निवासी को ही काम मिलना चाहिए। 10–12 कि.मी. दूर के मजदूर के जगह पर नजदीकी गाँव के मूल निवासी ही काम करे।

24 **श्री भूपेंद्र वस्त्रकार, पंच हिरमी** ने कहा कि एक यूनिट के लगने से इतने लोग बेरोजगार हो गये हैं, तो दूसरी यूनिट के आरंभ होने से और अधिक लोग बेरोजगार हो जायेंगे। पानी की आवक को बटपरा आने से रोका गया है, और शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है अतः आपत्ति दर्ज करता हूं।

25 **श्रीमती हीरामणी दिवाकर, अध्यक्षा नारी शक्ति महासंघ हिरमी** ने कहा कि गाँव में विकास हुआ है। कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ है, उन्होने कहा कि मैं न तो कम्पनी के तरफ से और न ही पंचायत के तरफ से बोल रही हूं, गाँव में संयंत्र हम लोगों के ही सहयोग से बना है, गाँव में जो विकास हुआ है वह और अधिक होना चाहिये, नारी शक्ति का भी विकास होना चाहिये, महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिये। पहले आस पास के गाँव के ग्रामीणों को रोजगार में प्राथमिकता मिले फिर बाहरी लोगों को रोजगार में लिया जावे।

26 **श्री भीषण साहू, पंच परसवानी** ने कहा कि जमीन देने के बाद भी आज हम नौकर हैं। परसवानी गाँव में कंपनी ने कब्जा किया है, इस समस्या का निदान श्री कल्याणी साहब करें। उद्योग लगने से विकास एवं विनाश दोनो होता है, विनाश अधिक होता है। जमीन नहीं देंगे। जनप्रतिनिधि को समझना चाहिये कि केवल वोट मांगने से काम नहीं चलेगा, जनता की ओर से आवाज उठाना चाहिये। केवल आदिवासी जनता की जमीन के अधिग्रहण की बात नहीं है, सभी को एक समान मुआवजा मिलना चाहिये।

27 **श्री सुरेंद्र शर्मा, जनप्रतिनिधि बलौदाबाजार** ने कहा कि हम सोंचे कि संयंत्र लगने से उन्नती होगी, लेकिन गॉव की आवाज सुनकर समस्या को समझें। उन्होने कहा कि अगर प्लांट शिक्षा में ज्यादा सहयोग करता तो बहुत से युवक अधिकारी बन जाते। अस्पताल की सुविधा नही है। किसान लोग जमीन बेचकर पैसे का सहीं उपयोग नही कर रहे हैं। कृषि भूमि को उद्योग के लिए न खरीदा जावे। सभी कर्मचारियों का स्थायी पता सार्वजनिक करें। अधिकांश लोग दूसरे प्रांत से हैं। भोले–भाले छत्तीसगढ़ी लोगों की भावनाओं की कद्र करें। उद्योग ऐसा होना चाहिए कि वह तीर्थ स्थल जैसा हो, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर अधिक हों। स्थानीय ग्रामीणों को खुश रखें। अगर स्थानीय लोगों पर ध्यान दिया जाता है, तभी उद्योग लगे। नही तो हम आपत्ति दर्ज करते हैं।

28 **श्री प्राणनाथ वर्मा, हिरमी** ने कहा कि बरडीह–हिरमी रोड़ के निर्माण में संयंत्र द्वारा आपत्ति का विवरण दिया जाये।

29 **श्री दाउलाल सिन्हा, हिरमी** ने कहा कि 25 साल से हमारी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, और स्थायी नौकरी नहीं मिली है। मजदूर साथियों हेतु वेज बोर्ड लागू करना चाहिये।

30 **श्री मोहन वर्मा, भूतपूर्व जनपद सदस्य कुथरौद** ने कहा कि जमीन लेने के समय हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वायदा किया गया था, जो पूरा होना चाहिए। हिरमी का सुधेलाल सतनामी भाई अपनी जमीन देने के बाद से दर–दर की ठोकरें खा रहा है। कुथरौद का चंदुलाल पटेल जमीन देने के बाद भी बेघर है। प्रभावित गॉव के मजदूरों को काम तथा 10–15 साल से काम करने वालों को परमानेंट किया जावे। माईंन्स की वजह से भूमिगत जल स्त्रोतों का पानी कम हो गया है, कुऑ सुख गया है। जमीन देने के पहले

यह सुनिश्चित किया जावे कि जल स्त्रोत बढ़ाने का प्रयास संयंत्र कैसे करें। पेट्रोल पंप के लिए जमीन पर कंपनी ने कब्जा कर लिया है। हिरमी में डिग्री कॉलेज की जरूरत है अतः कम्पनी इसे बनाये। शासन द्वारा बनाये अस्पताल में कंपनी अपना डाक्टर भेजे या अपने अस्पताल में ग्रामीणों को चिकित्सा देने की अनुमति दे। संयंत्र, कॉलोनी आदि के बनने पर हजारों पेड़ काटे गये हैं, उनके स्थान पर पेड़ कहां लगे हैं ? आज तक कहीं वृक्षारोपण नही किया गया है। पावर प्लॉट हिरमी स्कूल के एकदम नजदीक है, जिससे विद्यार्थियों को ध्वनि प्रदूषण होता है तथा धुयें से खुजली आदि हो रही है। CSR में पर्याप्त राशि खर्च नहीं की जाती है, अतः पर्याप्त राशि खर्च की जावे। CSR हेतु एक नयी समिति बनाई जावे, जिसमें गॉव, कंपनी के अधिकारी सभी के प्रतिनिधी होने चाहिए।

31 **श्री अश्वनी कुमार वर्मा, सकलोर** ने कहा कि 100 में से एक ITI को अप्रेंन्टिस में लेते हैं। सकलोर में पीने एवं नहाने के पानी की समस्या है, माईन्स से पानी दिया जावे। आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस देने में देर करते हैं। संयंत्र के मजदूरों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाता है। रावन यूनिट में रिगर, अटेन्डेंट को परमानेंट रखा गया है, जबकि हिरमी में ऐसा नही है यह दोहरी नीति है। मजदूरो को हीट एलॉउंस, बीमा, मेडिकल आदि की सुविधा देनी चाहिए। परमानेंट करने की लिखित स्वीकृति आज ही दें तो विस्तार करने के लिए नहीं रोकेगें।

32 **श्री श्रीकांत रेड्डी, संयंत्र के कार्मिक एवं प्रसाशनिक विभाग के सह उपाध्यक्ष** ने उपरोक्त कथनों का जवाब देते हुए कहा कि 20 साल पूर्व से प्लांट आपके सहयोग से चल रहा है। नीतिगत ढंग से समस्या का हल आम सहमति से किया जायेगा। जमीन संबंधी विवाद जिसमें नौकरी, मुआवजा आदि है, उसे शासन के नियमानुसार एवं आदेशानुसार हल किया जायेगा। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्लांट चलेगा। संयंत्र द्वारा विकास किया गया है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। विकास के लिए एक कमेटी बनाई जायेगी, जिसमें विकास की सोच रखने वाले लोग, शासन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा। रोजगार के लिए 100 प्रतिशत को हम संतुष्ट नही कर सकते, लेकिन अधिकतर क्षेत्रिय लोगों को रोजगार में मौका दिया गया है और आगे भी दिया जायेगा। इससे संबंधित डाटा भी प्रस्तुत किया गया है। आप की आशा के अनुरूप ही प्लांट चलेगा। प्रबंधन के पॉलिसी के अनुसार विकास कार्य को जनसहभागिता के साथ बढ़ाया जायेगा। रोजगार के मुद्दे पर 1200 क्षेत्रीय लोगों में से 620 जमीन देने वाले लोगों को रोजगार मिला है, यथा संभंव हम रोजगार देते आये हैं। 90 प्रतिशत लोग छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के ही हैं। योग्यता अनुसार रोजगार का अवसर संयंत्र द्वारा दिया जायेगा। शासन के नियमानुसार सभी नियमों का प्रबंधन द्वारा पूरा पालन करते हुए मजदूरों को उनका हक दिया जायेगा, अगर किसी को इस संबंध में शिकायत है तो हमें अवगत करायें। अतिरिक्त कार्य के लिए आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को पहले गॉव से लिया जायेगा। बाहरी लेबर की जगह पर गॉव वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। प्लांट बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें।

33 **श्री कुबेर यदु** ने कहा कि 20 साल पहले L&T अब अल्ट्राटेक में प्रश्न केवल 56 आदमियों के CL, PL का ही नहीं अपितु सभी श्रमिकों का है। उन्होनें कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में विकास ग्रामीणों के अनुसार नही हुआ है। पहले विकास करें, फिर जनसुनवाई करें।

34 **श्री किरण पाटिल, संयंत्र प्रमुख** ने उपरोक्त कथनों का जवाब देते हुए कहा कि जब भी कारखाने में जरूरत होगी क्षेत्रीय लोगों को लिया जायेगा। 56 लोगों को 26 हाजिरी देने की हर संभव कोशिश करेगें। CL, PL , Medical जो भी सुविधा कानून के अनुसार है, वह

100 प्रतिशत मिलेगी। अगर कोई कांट्रेक्टर नियमों का पालन नही कर रहा है, तो प्रबंधन उस पर कार्यवाही करेगा। जनसुनवाई का विवरण प्राप्त होने के 15 दिन में समिति गठित करवायेंगे व उसके द्वारा समस्याओं को हल किया जायेगा।

35 **स्कूली विद्यार्थियों के दल** ने कहा कि हिरमी में अग्रेजी शराब की दुकान बंद की जावे।

36 **श्री सन्नी, हिरमी** ने कहा कि जनसुनवाई केवल 5 गॉवों का मामला है, इसमें बाहरी आदमियों को आकर राजनीति करने की जरूरत नही हैं।

37 **श्री बाबूलाल वर्मा, बरडीह** ने कहा कि मैं 15 साल तक काम किया हूं, अंतिम भुगतान के रूप में मुझे केवल 30,000 रूपये देने की बात संयंत्र द्वारा कही गई है। हमारी जमीन पर ही हमें घसीटा जा रहा है।

38 **श्री रविशंकर वर्मा** ने कहा कि जमीन के चक्कर में 15 साल से कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए हम जमीन नही देगें। नौकरी मांगने पर अम्बुजा में गार्ड की नौकरी करने को कहते हैं। मेरे पिता द्वारा अंतिम भुगतान मॉगनें पर फिर से नौकरी करने को कहते हैं।

39 **श्री तारण दास अनंत, उपसरपंच कुथरौद** ने कहा कि हमारी मांगे पूर्ण होने पर प्लांट के बढ़ने या खुलने पर हमें कोई आपत्ति नही है। स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था कराई जावे। जो लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट किया जाये।

40 **श्री राजू, कुथरौद** ने कहा कि 10 लाख अंतिम भुगतान के रूप में दे दें, हमें काम नही करना है।

41 **श्री मुरारी शर्मा, सभापति जिला पंचायत** ने कहा कि सभी समस्याओं के लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। जनसमस्या अगर 4 गॉवों में है तो जनप्रतिनिधि समस्या हल करें। प्रबंधन से अनुरोध है कि 5 निकटवर्ती गॉवों को संतुष्ट करें। संयंत्र को हम नही उठा सकते, अतः संयंत्र को गॉव के लोगों के लिए ध्यान देना पड़ेगा। शासन खुद संयंत्र को बुलाता है, अतः संयंत्र का विरोध नही है, किंतु यहां के लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए। अगर फैक्ट्री चल रहा है तो गॉव के लोगों का परिवार भी चल रहा है। हम चाहते हैं और अधिक लोगों को रोजगार मिले। अतः अगर नयी फैक्ट्री खुलेगी तो और रोजगार मिलेगा। उद्योग है तो ही हमारी रोजी रोटी है। अगर प्लांट से जिदंगी अच्छी हो रही है तो प्लांट बढ़ने दें। उन्होनें कहा कि डॉक्टर तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जावे। ग्रामवासियों की समस्त मांगें पूर्ण होनी चाहिये।

42 **श्री अनुपम अग्रवाल, जनपद सदस्य कुथरौद** ने अधिकारियों से कहा कि समस्या चरणबद्ध ढंग से खत्म करने की सहमति दें।

43 **श्री सुनील माहेश्वरी, सदस्य जिला पंचायत रायपुर** ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ही लोक सुनवाई की अवधि 2 बजे बढ़ाकर 4 बजे तक की गई है। मजदूरों के हित की ही बात की जानी चाहिये।

44 **श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, अध्यक्षा जिला पंचायत रायपुर** ने कहा कि मजदूरों का CL, PL एवं वेतनमान बढ़ना चाहिए। आसपास के गॉवों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए। अधोसंरचना अच्छी होनी चाहिये, शिक्षा के लिए गॉव में सहयोग देना चाहिए, जिनकी

जमीन गई है, उन्हें रोजगार दें। नवीन प्लांट लगायें लेकिन समस्याओं का निराकरण करें। अगर कंपनी ये सब काम करती है, तब ही क्षमता विस्तार कर सकती है।

इसके उपरांत अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री कल्याणी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई की प्रक्रिया दौरान कुल 78 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, जो संलग्नक–1 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी,
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)